

04/12/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी प्र.।
प्रतिवादीगण की तलबी हेतु मिसल जारी।
11/02/25 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO), बाड़मेर

11/02/25

पत्रावली पेश
बकूलान
प्रवापालय
कवस्त हो
सुदति। राहाजा।
आदि।

पर कर्यो म
आई नहीं हो
त हीफ्त

पेश हो।

16/05/25

16.05.25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित।
मिसल वास्ते तलबी प्रतिवादीगण आईंवादिनांक
19.08.25 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO), बाड़मेर

19.08.25

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता
वादी एवं वादीगण के नाम से अलग-अलग समय
पर तीन बार आवाज दिलाई गई। कोई उप. नहीं
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता
वादी एवं स्वयं वादी अपने वाद को लेकर गंभीर
नहीं हैं। लिहाजा वादी का वाद 'अदम पैरवी'
व 'अदम हाजिरी' में रवारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर दारखिल दफतर हो
व नंबर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO), बाड़मेर

